

Integrated Goods & Services Tax Act, 2017

Section 4 : Authorisation of officers of State tax or Union territory tax as proper officer in certain circumstances

Without prejudice to the provisions of this Act, the officers appointed under the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act are authorised to be the proper officers for the purposes of this Act, subject to such exceptions and conditions as the Government shall, on the recommendation of the Council, by notification, specify.

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 4 : राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारियों का कतिपय परिस्थितियों में समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकार

इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम अथवा संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन, जो सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारी होने के लिए प्राधिकृत हैं।
